

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 19-77/2018/17/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

प्रति,

डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय, रायसेन (म.प्र.)।

विषय:- डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जाँच के प्रकरण में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना।

==0==

डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन, आपके विरुद्ध कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक/एफ 19-77/2018/17/मेडि-1, दिनांक 02.05.2018 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई थी। विभागीय जाँच अधिकारी ने जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जाँच अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जाँच अधिकारी ने आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपके विरुद्ध विभागीय जाँच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है मानते हुये विभागीय जाँच में अंतिम निर्णय लिया जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(गौरी सिंह) 11

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक/एफ 19-77/2018/17/मेडि-1.

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 19-69/2018/17/मेडि-1

भोपाल, दिनांक/ 3 .07.2018

प्रति,

डॉ. कमला भायल (चौधरी)
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल जावद,
जिला नीमच (म.प्र.)


विषय:- डॉ. कमला भायल (चौधरी), चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल जावद, जिला नीमच, म.प्र.के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संस्थित विभागीय जाँच के प्रकरण में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्रस्तुत हेतु अवसर प्रदान करना।

==0==

डॉ. कमला भायल (चौधरी), चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल जावद, जिला नीमच, म.प्र. आपके विरुद्ध कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में शासन के आदेश क्रमांक/1264/2018/17/मेडि-1 दिनांक 16.04.2018 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई थी। विभागीय जाँच अधिकारी ने जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत विभागीय जाँच अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति इस ज्ञाप के साथ संलग्न है।

विभागीय जाँच अधिकारी ने आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने आपके विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए आपके विरुद्ध विभागीय जाँच के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व यदि इस संबंध में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहती हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत समयावधि में आपके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, मानते हुये विभागीय जांच में अंतिम निर्णय लिया जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(गौरी सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 19-69/2018/17/मेडि-1

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. कमला भायल (चौधरी), चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल जावद जिला नीमच (म.प्र.) को संलग्न जॉच प्रतिवेदन तामील करवाकर उसकी पावती प्राप्त कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में अनिवार्यतः लौटाएँ।

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग